



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किडवाई नगर, नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



सं. ए-45011/82/2024-मा.सं.प्र.-III/81

दिनांक: 18.06.2025

आदेश

शिकायत निवारण समिति की सिफारिशों के आधार पर और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, सामाजिक सुरक्षा संवर्ग में निम्नलिखित कर्मचारियों के अभ्यावेदन पर विचार किया गया और तदनुसार उन्हें उनके नाम के सामने उल्लिखित स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है:

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	आं.का. का नाम (जहां कर्मचारी तैनात है)	अंचल का नाम जहां कर्मचारी को स्थानांतरित किया गया है	क्या स्थानांतरण अस्थायी है या स्थायी
1.	राजीव कुमार रंजन	पंजाब एवं हि. प्र.	बिहार एवं झारखंड	अस्थायी
2.	रामजी गुप्ता	पंजाब एवं हि. प्र.	बिहार एवं झारखंड	अस्थायी
3.	भरत लाल मीणा	हरियाणा	राजस्थान	अस्थायी

उपर्युक्त के अलावा, सक्षम प्राधिकारी ने सामाजिक सुरक्षा संवर्ग में निम्नलिखित कर्मचारियों के स्थानांतरण वापसी अनुरोधों को भी स्वीकार कर लिया है और तदनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके मौजूदा अंचल में बनाए रखा गया है: -

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	आं.का. का नाम (जहां कर्मचारी को स्थानांतरित किया गया है)	आं.का. का नाम जहां कर्मचारी को वापस स्थानांतरित किया गया है
1.	वैकट राव रंकु	आंध्र प्रदेश	बैंगलुरु
2.	मनीष खानचंदानी	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	गुजरात
3.	रविकुमार गुरुगुबेल्ली	तेलंगाना	बैंगलुरु

2. इसके अलावा, जिन कर्मचारियों का स्थानांतरण वापसी अनुरोध सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, उन्हें 5 वर्षों के लिए स्थानांतरण अनुरोध करने से वंचित किया जाता है। इसलिए, संबंधित आंचलिक कार्यालयों से अनुरोध है कि वे प्रतिबंध अवधि तक उनके स्थानांतरण अनुरोध को मुख्यालय को अंग्रेषित न करें।
3. सामाजिक सुरक्षा संवर्ग के शेष कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर विविध कारणों से विचार नहीं किया जा सका।
4. सभी कर्मचारियों को इस आदेश के जारी होने के 03 दिन के भीतर कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।
5. सभी कर्मचारी संबंधित आंचलिक कार्यालय में रिपोर्ट करेंगे तथा तत्पश्चात् आंचलिक कार्यालय उन्हें ग्रुप 'ब' स्थानांतरण नीति के अनुसार तैनात करेंगे।
6. स्थानांतरण केवल 6 वर्ष के लिए लागू है।
7. सभी कर्मचारी ध्यान दें कि यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि स्थानांतरण के लिए उनके द्वारा दी गई जानकारी/दस्तावेज गलत है, तो कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा तथा स्थानांतरण आदेश भी रद्द कर दिया जाएगा।
8. स्थानांतरण के लिए अनुरोध करने वाले कर्मचारी को कोई टीए/डीए/सीटीजी देय नहीं होगा, हालांकि, किसी भी प्रकार की छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है।
8. ज्वाइनिंग रिपोर्ट ई-मेल आईडी groupb.transfer@epfindia.gov.in पर भेजी जाएगी।

(सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी)


(मनीष मणि)
क्षे.भ.नि.आ.-1 (मा.सं.प्र.)

सेवा में,

सभी संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी
(अपर केंद्रीय आयुक्त (मुख्या.)/अंचल के अपर केंद्रीय आयुक्त के माध्यम से)

प्रतिलिपि -

1. कै. भ. नि. आयुक्त के ओ. एस. डी।
2. वि. सला. एवं मु. ले. अधि./मु. सत. अधि./ सभी अ.कें.आ. (मुख्या.)/ निदेशक (पीडीनास) के निजी सचिव।
3. सभी अपर केंद्रीय आयुक्त।
4. सभी उप निदेशक (सतर्कता)/आंचलिक लेखापरीक्षा दल।

5. सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान/उप-आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान ।
6. क्षे. भ. नि. आयुक्त, एनडीसी - वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. महासचिव, क.भ.नि. अधिकारी एसोसिएशन।
8. महासचिव, अ.भा. क.भ.नि. स्टाफ फेडरेशन।
9. महासचिव, अ.भा. क.भ.नि. कर्मचारी संघ।
10. महासचिव, अ.भा. क.भ.नि. एसटी/एससी फेडरेशन।
11. गार्ड फाइल।



(मनीष मणि)

क्षे.भ.नि.आ.- I (मा.सं.प्र.)